A5/1

# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

पी.सी.पी.एन.डी.टी. अपील संख्या –22/2016

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|---|
| डॉ0 रामलाल कृषक मालिक शिवम् अस्पताल, बी.आर. मिर्धा कॉलेज के सामने, नागौर तहसील व जिला नागौर | | समुचित प्राधिकृत अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. उपखण्ड नागौर एंव जिला स्वास्थ्य एंव चिकित्सा अधिकारी एंव प्राधिकृत अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट नागौर |

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुडखुडिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 8-7-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीन धारा 19 पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट में समुचित प्राधिकृत अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. उपखण्ड नागौर एंव जिला स्वास्थ्य एंव चिकित्सा अधिकारी एंव प्राधिकृत अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट नागौर पारित निर्णय दिनांक 11.01.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.02.2016 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया अपीलार्थी शिवम हॉस्पीटल, नागौर का एक मात्र स्वामी है जहां पर अपीलार्थी अपनी चिकित्सा संबंधी सेवाऐं, सुविधाऐं प्रदान करता है। अपीलार्थी के इस अस्पताल में एक अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी हेतु संबंधित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 10 दिनांक 26.02.2009 को जारी किया गया। तत्पश्चात् से अपीलार्थी अपने अस्पताल में अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी की मशीन लगाकर कार्य करता आ रहा है उक्त अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी का पंजीयन प्रमाण पत्र की अवधि दिनांक 25.02.2014 को समाप्त हो रही थी, इससे पूर्व ही अपीलार्थी ने उक्त अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी पंजीयन के नवीनीकरण हेतु दिनांक 24.01.2014 को अपना विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलार्थी ने वांछित दस्तावेजात भी प्रस्तुत कर दिये। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसका अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी के पंजीयन नवीनीकरण के आवेदन पत्र को दिनांक 15.04.2014 को खारिज कर दिया या जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने अपील संख्या 50/2014 प्रस्तुत की थी जहां बाद माननीय प्राधिकृत अधिकारी जिला नागौर द्वारा पुनः राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ के द्वारा अपने पत्रांक राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ/एल.ए.(70)/2015 दिनांक 16.12.2015 द्वारा उक्त प्रकरण में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के नियम 18 क 4 (ii) के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देशों एंव माननीय अपील न्यायालय के निर्णय की अनुचित व्याख्या करते हुए दिनांक 11.01.2016 को नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं होने की आज्ञा व आदेश पारित कर दिये, दुसरे शब्दो में नवीनीकरण हेतु इन्कार कर दिया जिसकी सूचना अपीलांट को होने से उससे क्षुब्ध होकर अन्दर मियाद 30 दिवस निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

A5/2

आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है विदित रहे कि इस संबंध में ऐसा कोई नोटिस अपीलार्थी को जारी नहीं किया है कि उक्त नवीनीकरण अस्वीकार किये जाने से पूर्व वह अपना कोई कारण बताये। यहां यह कथन करना भी प्रासंगिक है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसको सुनवाई का पर्याप्त व युक्तियुक्त अवसर दिया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है इसलिए उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) नियम 1996 के नियम 8 में अल्ट्रा साउण्ड सोनोग्राफी हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की व्यवस्था की गई है उक्त नियम 8 के उप बिन्दू संख्या 3 के अनुसार यदि समुचित प्राधिकारी की जांच के पश्चात् और आवेदक को उसकी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अधिनियम और इस नियम की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है तो वह ऐसे कारण को जो लेखबद्ध किया जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के आवेदन को नामंजूर कर देगा विधि के उक्त सुस्थापित प्रावधान की इस प्रकरण में कोई पालना नहीं हुई है। अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है यह स्वीकृत रूप से साबित है इसलिए इस आधार पर आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट द्वारा पूर्व में उपखण्ड क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु इन्कार करने के आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरूद्ध अपील पेश की थी जो माननीय न्यायालय द्वारा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अपील संख्या 50/14 दिनांक 20.07.2015 को निर्णित की थी एंव माननीय न्यायालय द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित पिटिशन नम्बर 44/78 महाराष्ट्रा ब्रांच of IRIA MSBIRIA MUMBAI VERSUS यूनियन ऑफ इण्डिया दिनांक 5 मई 2015 तथा नोटिफिकेशन स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 28 जनवरी 2015 के प्रकाश में अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए मेरिट पर नये सिरे से न्यायोचित निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया था। जहां बाद अपीलांट द्वारा विद्वान प्राधिकृत अधिकारी मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रकट कर दिया था कि उक्त नोटिफिकेशन होते हुए भी केन्द्रीय सरकार के सोलीसीटर ने उक्त न्यायालय में नोटिफिकेशन होते हुए भी नवीन पंजीकरण व नवीनीकरण रोके जाने में बाधा नहीं होने का मत व्यक्त किया है साथ ही अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये आरोप में अपीलांट माननीय न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट अजमेर संभाग से दिनांक 02.02.2015 को दोषमुक्त हो चुका है तथा उक्त नोटिफिकेशन में अनुज्ञाधारी के विरूद्ध प्रकरण चालू होने की स्थिति में नोटिफिकेशन प्रभावित है। किसी अपील या अपील हेतु अनुमति का आवेदन अथवा रिवीजन विचाराधीन होने का तथ्य नोटिफिकेशन में अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारक के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है तथा नोटिफिकेशन की सही सही व्याख्या माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष जो की गई है उसके अनुसार नवीनीकरण किया जाना उचित है। उक्त आशय का परिवाद/प्रतिवेदन पेश करने के बावजूद भी माननीय प्राधिकृत अधिकारी ने अपने विवके पर निर्णय किये बिना ही राज्य पी.सी.पी.एन.डी. टी. के प्रकोष्ठ को अनुचित आदेश की आड नवीनीकरण से इन्कार करने में प्रथम तो अपील न्यायालय के निर्णय का अनादर किया है दोयम में अनुचित प्रभाव में आकर स्वतत्र आदेश पारित नहीं किया है जिससे आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर नवीनीकरण के अधिकार अपील न्यायालय को जो प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण की आज्ञा दी जाना न्यायोचित है, अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने का कथन करते हुऐ

A5/3

अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील दिनांक 11.06.2016 द्वारा समुचित प्राधिकारी (पी.सी.पी.एन.डी.टी) उपखण्ड नागौर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को निरस्त करने एवं मुख्य चिकित्सा एवं अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ नवीनीकरण पत्रावली मंगवाई जाकर अपीलान्ट के आवेदन नवीनीकरण को स्वीकार किया जाकर नवीनीकरण की आज्ञा दी जाने एवं नवीनीकरण आदेश की पालना के निर्देश दिये जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में रिट याचिका संख्या 4478/2015 MAHARASHTRA STATE BRANCH OF IRIA MSBIRIA, MUMBAI VERSUSOF INDIA में HIGH COURT OF JUDICATURE OF BOMBAY BENCH AT AURANGABAD आदेश दिनांक 5 मई 2015 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आवीणा ने रेसपोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि आदेश दिनांक 11.01.2016 पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के प्रावधान के अनुसार जारी होने के कारण विधि सम्मत है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर रेसपोडेन्ट द्वारा दिया गया जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित व मौखिक रूप से रेसपोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।

नियम 8 के साथ साथ पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट का नियम 18क 4(ii) को पढ़ा जाना चाहिए। जिसके अनुसार पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के किसी प्रावधान के उल्लघंन हेतु आवेदक के विरूद्ध कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित हो तो नये पंजीकरण या नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जावे। रेसपोडेन्ट द्वारा उक्त नियम का पालन करते हुए अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार किया है। क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण में अपील विचाराधीन है (CRLA/337/2016 राजस्थान सरकार बनाम डॉ. रामलाल कृषक) इसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल नहीं की गई है।

अपीलान्ट द्वारा पूर्व तत्कालीन समुचित प्राधिकारी के नवीनीकरण के अस्वीकार करने का आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 50/2014 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में दिनांक 20.07.2015 को दिये गये निर्णय की पालना करते हुए रेसपोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा राज्य स्तर से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रार्थी के नवीनीकरण आवेदन का निस्तारण करे। रेसपोडेन्ट द्वारा अपील संख्या 50/2014 में न्यायालय हाजा के द्वारा दिये गये आदेशों की पालना में अपीलान्ट डॉ0 रामलाल कृषक को कार्यालय के पत्रांक पीएनडीटी/2015/158 दिनांक 14.09.2015 के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के अवसर में अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित एवं मौखिक रूप से रेसपोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें यह निवेदन किया कि इस प्रकरण में उप निदेशक (आर.सी.एच.) एवं प्रभारी राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर से राय व मार्गदर्शन प्राप्त कर निस्तारण करें। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक–पीएनडीटी/2015/185 दिनांक 3.11.15 के माध्यम से रेसपोडेन्ट द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया। राज्य स्तर से प्राप्त पत्रांक राज्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ/एलए(70)/2015/1532 दिनांक 16.12.2015 में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि उक्त प्रकरण में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के नियम 18(4)(ii) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त मार्गदर्शन में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों का समुचित पालना करते हुऐ अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार किया गया। क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण में अपील विचाराधीन है (CRLA/337/2016 राजस्थान सरकार बनाम डॉ. रामलाल कृषक)। पी.सी.पी.एन.डी.टी. नियम 18(4)(ii) के अनुसार किसी आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उसका आवेदन अस्वीकार किया जायेगा। अतः रेसपोडेन्ट द्वारा दिनांक 11.01.2016 को

जारी किया गया आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की जाने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। राजपैरोकार के कथनानुसार अपीलान्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण में अपील (CRLA/337/2016 राजस्थान सरकार बनाम डॉ. रामलाल कृषक) विचाराधीन है, उक्त तथ्य राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत सूची दस्तावेज के साथ पेश केस स्टेटस रिपोर्ट से भी साबित है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, कि अपीलान्ट विरूद्ध उक्तानुसार प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्रांक–158 दिनांक 14.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पक्ष एवं ज़बाब पेश करने का अवसर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के समक्ष जबाब प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2015 के अनुसार "2. गर्भधारण–पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियमावली, 1996 के नियम 18–क, के उक्त नियम 4 के खण्ड (ii) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–(ii) यह सुनिश्चित करे कि यदि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के किसी प्रावधान के उलघंन हेतु आवेदक के विरूद्ध कोई मामला किसी भी न्यायालय में लंबित हो, तो नये पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार न किया जाए"

इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में उपरोक्तानुसार प्रकरण विचाराधीन होने से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2015 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन का नवीनीकरण किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय संगत नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अपीलान्ट के हस्तगत मामले की परिस्थितियों में अपीलान्ट का नवीनीकरण के आवेदन को नवीनीकृत करने के संबंध में चस्पा नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर